

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प चरठा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खड्डा
व भू.अ.नि. बनेदी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रे.एम.रि.र. / नायब
तहसीलदार रे.एम.रि.र. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खड्डा तहसील रे.एम.रि.र. व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 417 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खड्डा	417	सुखा	सुखा/ना/क

रे.एम.रि.र.
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 320

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रे.एम.रि.र. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में, अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री सुखा को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रे.एम.रि.र.
उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर